बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0– निग/सारा– 06–द०बि०(मु०)–30/2013 7277-(S) पटना, दिनांक 08/10/24

श्री रामयति सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, पटना सम्प्रति सेवा निवृत (31.12.2007) के विरूद्ध ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, पटना के पदस्थापन काल में लोदीपुर–सदीसोपुर पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5008 (एस) अनु० दिनांक–12.04.2007 के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिंह के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में गठित आरोप निम्नवत है :–

(1) विषयांकित कार्य हेतु बिना प्रशासनिक स्वीकृति /आबंटन प्राप्तत्र किए अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल पटना के पत्रांक 97 दिनांक 16/3/99 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर 1,05,363/– रूपये के कार्य का दिनांक 19/3/07 को एकरारनामा कर कार्य कराया गया जबकि लोक निर्माण संहिता के नियम 130 में उपबंधित है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कोई भी कार्य नहीं कराया जाय जिसका उल्लंघन आपके द्वारा किया गया है जिसके लिए आप दोषी पाये जाते है।

(2) उपरोक्त कार्य का निविदा का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं कराया गया जब कि बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 में स्पष्ट निर्देश है कि 50,000/– से अधिक के किसी भी कार्य की निविदा समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित किया जाय किन्तु ऐसा नहीं किया गया जिसके लिए आप दोषी पाये जाते है।

(3) दिनांक 31.3.99 को कनीय अभियंता द्वारा मापी की गई तथा 74393/ का विपत्र बनाया गया जिसकी जाँच आपके द्वारा नहीं की गई जिससे आपके द्वारा मंत्रीमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.83 कंडिका 1 (5) में दिए गए निदेश का उल्लंघन होता है जिसके लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

2. श्री सिंह को दिनांक–31.12.2007 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक–6479 दिनांक–14.05.2008 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–690 अनु० दिनांक–14.09.2007 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित तीनों आरोपों को यद्यपि प्रमाणित नहीं माना गया। परन्तु संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त आरोप संख्या–2 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु को अंकित कर विभागीय पत्रांक–13860 (एस) अनु० दिनांक–03.12.2007 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी।

4. श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन दिनांक–21.01.2008 के समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्राप्त नहीं हुई। स्पष्टतः श्री सिंह ने जान–बूझकर निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं कराया जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन को असंतोषजनक

पाते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए अधिसूचना सं0–14767 (एस) दिनांक–21.10.2010 के द्वारा 5 (पाँच) प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से कटौती के दण्ड संसूचित किया गया।

5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिंह ने अपने पत्रांक–01 दिनांक–11.01.2012 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिया, जो विभाग में दिनांक–02.03.2012 को प्राप्त हुआ। श्री सिंह ने अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में सारतः इस प्रकरण में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता श्री बसंत राम एवं सहायक अभियंता श्री ब्रज किशोर प्रसाद को आरोप मुक्त किये जाने, पी०डब्लू०डी० कोड के तहत मरम्मति के छोटे–छोटे कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहने, निविदा आमंत्रण सूचना के नोटिस को हस्ताक्षर के उपरान्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेजे जाने की जबाबदेही प्रभारी प्रधान लिपिक की होने, तीन संवदेकों के बीच बाँटे गये 05 (पाँच) लाख के कार्यों की निविदा पूर्ण प्रचारित होने, रू० 74,394/– का विपत्र उनके कार्यकाल में उपस्थापित नहीं किये जाने, मो० फकरूद्दीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा चन्द्रेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार को कोई Pecuniary Loss नहीं होने तथा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत 04 वर्ष के पूर्व की घटना के लिए कोई कार्रवाई नहीं किये जाने इत्यादि के आधार पर निर्गत दण्डादेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

6. श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह का उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–25 के तहत कालाबाधित है तथा इस आधार पर विचारणीय नहीं है। तथापि नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त अभ्यावेदन के merit पर भी विचार किया गया एवं पाया गया कि :–

(क) इस प्रकरण में संलिप्त श्री बसंत राम, तदेन अधीक्षण अभियंता एवं श्री ब्रज किशोर प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता को आरोप मुक्त किये जाने का प्रश्न है, श्री राम के विरूद्ध दो आरोप एवं श्री प्रसाद के विरूद्ध एक आरोप गठित किया गया था। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम को आरोप संख्या–02 जो निविदा प्रकाशन से संबंधित है, के लिए कर्त्तव्य में उदासीन रहने का दोषी माना गया, जिसके लिए सेवा में रहने पर इन्हें लघु दण्ड दिया जा सकता था, परन्तु श्री राम के दिनांक–31.07.2002 को सेवानिवृत हो जाने के कारण इनके विरूद्ध दण्ड का मामला नहीं मानते हुए श्री राम को आरोप मुक्त किया गया। श्री ब्रज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता को इस कारण आरोप मुक्त किया गया कि जाँच प्रतिवेदन में इन पर लगाया गया एक मात्र आरोप इस कारण प्रमाणित नहीं पाया गया कि आरोप में जिस कार्यकाल का उल्लेख किया गया वह श्री प्रसाद के कार्यकाल से संबंधित नहीं था।

(ख) प्रमाणित पाये गये आरोप के संदर्भ में श्री सिंह ने अपने पुनर्विचार आवेदन पुनः उन्हीं तथ्यों को दुहराया है जो इन्होंने बचाव बयान तथा द्वितीय कारण पृच्छा में दिया था। इन्हें आरोप संख्या–2 के लिए दोषी पाते हुए कि इन्होंने निविदा का प्रकाशन नहीं कराया अर्थात टेबुल टेन्डर किया जो प्रक्रियात्मक भूल नहीं अपितु गंभीर मामला था क्योंकि निविदा की समुचित प्रकाशन के अभाव में स्वस्थ प्रति स्पर्द्धा नहीं होती है।

(ग) जहाँ तक सेवानिवृति के पश्चात् बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में श्री सिंह के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में अंकित तथ्य का प्रश्न है– श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही इनके सेवाकाल में चलाई गयी थी जिसे सेवानिवृति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। यह शंभू शरण सिंह बनाम बिहार राज्य 2000 (1)

PLJR 665 में माननीय उच्च न्यायालय के पूर्ण खंड पीठ द्वारा दिये गये नियमन से भी संपुष्ट होता है। अतएव श्री सिंह को संसूचित दण्ड नियमानुकूल है।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत आदेश ज्ञापांक–8069 (एस) दिनांक–20.07.2012 के द्वारा श्री सिंह के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

8. श्री सिंह के द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–11409/2013 रामयति सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमे दिनांक–29.07.2024 को पारित आदेश के तहत विभागीय दण्डादेश को set aside and quashed कर दिया गया।

9. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में श्री रामयति सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, पटना सम्प्रति सेवा निवृत के द्वारा दिनांक–01.01.2008 से अब तक रोकी गयी पेंशन के 5 प्रतिशत राशि की गणना कर भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया।

10. उक्त मामले मे विभागीय समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पारित उक्त आदेश के विरूद्ध विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करते हुए एल0पी0ए0 सं0–199/2025 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रामयति सिंह माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–17.02.2026 को पारित आदेश के तहत यह माना गया है कि वादी श्री सिंह के द्वारा निविदा निष्पादन में अनियमितता बरती गयी है, परंतु उनको सेवानिवृत हो जाने एवं उनके सर्विस करियर में उनके विरूद्ध कोई अन्य आरोप नहीं रहने, दो अन्य आरोपों से आरोपमुक्त किये जाने, लगभग 19 वर्ष पूर्व सेवानिवृत हो जाने तथा वर्तमान में उनकी आयु लगभग 80 हो जाने का संदर्भ देते हुए श्री सिंह के पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से लागू करने के स्थान पर दस (10) साल की अवधि तक ही पेंशन कटौती को सीमित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

11. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में एल0पी0ए0 नं0–199/2025 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए श्री रामयति सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत **(31.12.2007)** के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–14767 (एस) दिनांक–21.10.2010 के द्वारा 5 (पाँच) प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से कटौती किये जाने का अधिरोपित दण्ड को संशोधित करते हुए **इसके स्थान पर सेवानिवृत के बाद की तिथि (01.01.2008) से 5 (पाँच) प्रतिशत पेंशन दस वर्षो तक कटौती** किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग/सारा- 06–द०बि०(मु०)–30/2013 पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग/सारा- 06–द०बि०(मु०)–30/2013 पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0 यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग/सारा– 06–द०बि०(मु०)–30/2013 पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :— सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, पटना/उप सचिव, मुख्यालय/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री रामयति सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, राजवंशी नगर, पोस्ट+थाना–शास्त्रीनगर, पटना–800023 मोबाईल नं0 9431016101** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— निग/सारा– 06–द०बि०(मु०)–30/2013 7278(5) पटना, दिनांक 08/10/18

प्रतिलिपि :— अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।